देवबणी री बात

कृपाविस का सामुदायिक जंगल 'देवबणी/ओरण' संरक्षण अभियान

अंक 21 मार्च 2012

वन अधिकार अधिनियम के तहत उमरी वासियों द्वारा याचिका

उमरी गाँव (सरिस्का) की ग्राम सभा द्वारा अनुसूचित जनजाति व अन्य आदिवासी (वन अधिकारों को मान्यता) 2006 के तहत 11 नवम्बर 2011 को राज्य स्तर की निगरानी समिति के समक्ष एक याचिका दायर की।

जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हमे हमारे अधिकारों अनुसूचित जनजाति व अन्य आदिवासी (वन अधिकारों को मान्यता) 2006 के तहत बगैर मान्यता ही मौजपुर रूंध में विस्थापित कर दिया है तथा हमे वन अधिकारो तथा प्रक्रिया के बारे में ठीक से अवगत भी नहीं कराया।

याचिका में ग्राम वासियों ने कहा है कि हम आपको (राज्य स्तर की निगरानी समिति) सूचित करना चाहते हैं कि हमारे विस्थापन में वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम मे उलेखित प्रावधानों की सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अवमानना की गयी हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम धारा 38(V) (5) तथा वन अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों व प्रक्रियाओं का पालन विस्थापन प्रक्रिया में नहीं किया गया है। वन अधिकार अधिनियम की धारा 4 (5) में वर्णित जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय किसी वन में निवास करने वाली अनुसचित जनजाति या अन्य परम्परागत वन निवासियों को कोई सदस्य उसके अधिभोगाधीन वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जाएगा जब तक मान्यता और च सत्यापन प्रक्रिया पूरी नही हो जाती है।

ग्रामीणों ने माँग रखी कि हम अनुसूचित जनजाति व अन्य आदिवासी वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम, 2006 की धारा 7 व 8 के तहत यह याचिका राज्य स्तर की निगरानी समिति के समक्ष पेश कर रहे हैं कि सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे तथा जिला स्तर की समिति को आवश्यक निर्देश दे कि वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों की मान्यता सुनिश्चित करें तथा निर्धारित प्रावधानों व प्रक्रियाओं का पालन विस्थापन में पूरी तरह से किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो 60 दिन के बाद हम कोर्ट में याचिका दायर कर देगें।

60 दिन बीत गये है अभी तक राज्य स्तर की निगरानी समिति से कोई जवाब गामीणों को नहीं मिला है। अत: अब वे कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।

KRAPAVIS

कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान (कृपाविस)

कृपाविस बणी, गांव-बख्तपुरा

पो० सिलीसेढ़, जिला अलवर-301001 (राज.)

ई-मेल:krapavis_oran@rediffmail.com

सम्पादन : अमनसिंह व प्रतिभा सिसोदिया

कुण्डों वाली देवबणी : उत्कर्ष्ट जैव विविधता

कुण्डों वाली देवबणी ग्राम आंतेला, तहसील विराट नगर, जिला जयपुर में पड़ती है। इस देवबणी में शंकर भगवान का मन्दिर है। जो प्राचीन काल का बना हुआ है। इस बणी में झरना बहता रहता है और जल नीचे बने कुण्डों में एकत्रित होता है। इस जंगल में अनेक कुण्ड होने से इस देववणी का नाम कुण्डों वाली बणी है।

इस देवबणी का क्षेत्रफल लगभग 100 हेक्टेयर है। इस बणी में निम्न प्रजातियों के पेड़ पौधे है जैसे धोंक, पापड़ी, पीपल, बरगद, डांसर, कैर, छीला, विलायती किकर, आदि पेड़ पौधे है।

कहा जाता है कि इस बणी में अत्री ऋषि ने आकर तपस्या की थी, जो सतयुग में की थी अत: यह बणी भी सतयुग से आज तक विद्यमान है। गाँव में लोगों ने बताया कि इस बणी में कोई भी व्यक्ति पेड़ नहीं काट सकता क्योंकि यहाँ विराजमान शंकर भगवान काटने वाले को स्वयं दण्ड 'परचा' देते है। एक बार गाँव के एक व्यक्ति ने धोंक का पेड़ काटा था तब अचानक बहुत सी मधु मक्खी आई और उस को डंक मारने लगी तो वह भाग कर शंकर भगवान के मन्दिर में गया, और भगवान से क्षमा मांगी और प्रसाद चढ़ाया। इस देवबणी में से कोई भी व्यक्ति पत्थर नहीं खोदता है अगर कोई पत्थर खोदने का प्रयास करता है तो शंकर भगवान हर पत्थर के नीचे सर्प बना देते हैं। इसलिए इस देवबणी में कोई नुकसान नहीं करता है। इस प्रकार यहाँ की जैव विविधता उत्कर्ष्ट है।

श्रावण मास में यहाँ पर दूर–दूर के यात्री स्नान करने आते हैं। श्रावण मास में बहुत भीड़ रहती है। यहां से भक्त कांवड भी लेकर जाते हैं तथा जो भी जिस मनोकामना से आता है उसकी सभी मनोकामनाऐं पूर्ण होती हैं। यह देवबणी जंगली जानवरों की शरण स्थली है, इस देवबणी में अनेक प्रकार के पक्षी भी रहते हैं। नियमानुसार इस देवबणी क्षेत्र में कोई भी जानवरों को नही मार सकता। कोई शिकारी इस देवबणी में हथियार लेकर नहीं जा सकता।

इस देवबणी में अनेक प्रकार की घास पैदा होती है जिनमें श्रावक, धामण सूरवाल, हरी घास है, जो गाँव के पशुओं को चराने के काम आती है। इस देवबणी में पशु घास चरते है व पानी पीकर इसी देवबणी में आराम करते हैं। गाँव के पशु 5–6 महिने इस देवबणी में ही चरते हैं। इस देवबणी में प्राकृतिक झरने से गाँव वालों को पीने का पानी मिलता है।

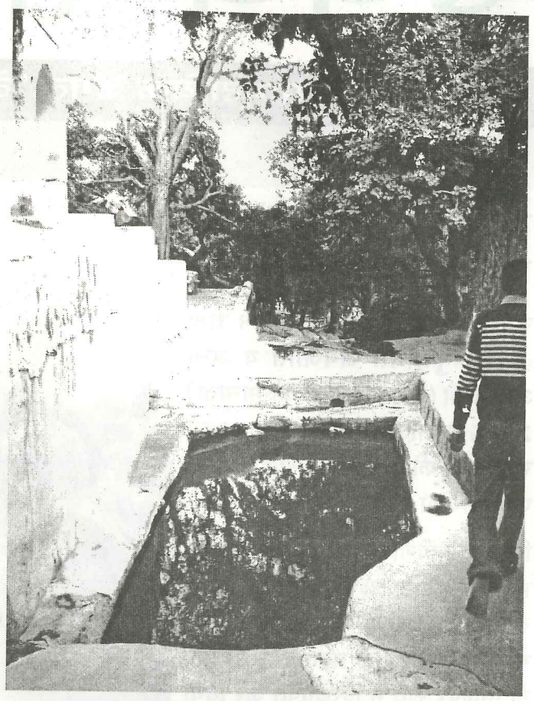

इस देवबणी में जड़ी–बूँटी का भण्डारण है। श्री श्री 1008 श्री रामेश्वर दास महाराज ने बताया कि इस देवबणी में जड़ी–बूँटी की कोई कमी नहीं है, परन्तु हर व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं है, परन्तु कुछ स्थानीय लोग इस देवबणी से जड़ी–बूँटी ले जाते हैं और कई बीमारी का इलाज करते हैं।

महात्मा जी ने कई जड़ी बूँटियों की जानकारी दी जैसे सदाहरि, सतावरी। श्री कैलाशचन्द ने बताया कि दक्खनी गोखरू पशु व आदमी दोनों के बीमारियों में काम आती है। ब्याने वाले पशुओं का शरीर निकलता हो तो गोखरू से बनी दवा इसको देना चाहिए। गोखरू को पेड़ सहित उपाड़ना चाहिए और एक बाल्टी पानी लेकर उसको डूबोकर उसको पशु को पिलाना चाहिए।

मोहनलाल शर्मा ने बताया कि देवबणी तो देशी मैडिकल की दुकान है। इस मैडिकल में कोई रुपये की जरूरत नहीं। यहाँ तो हमेशा दवाई मिलती हैं। इस देवबणी में सुरक्षा समिति बनी हुई है जो इस बणी की देखरेख भी करती है। सुरक्षा समिति के प्रमुख सदस्यों के नाम हैं :– महाराज रामेश्वरदास, कैलाश, साधुराम, शिम्भुदयाल, सोहन शर्मा, मोहनलाल शर्मा आदि हैं।

कुहाड़ा गाँव की देवबणी में कुहाड़ा की मनाही

कुहाड़ा गाँव जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में स्थित है। जहाँ भैरू जी के नाम से देवबणी है। इस देवबणी का क्षेत्रफल 250 हैक्टेयर है जो घना हरा जंगल है। यह देवबणी 1300 वर्ष पुरानी बताते हैं। यह देवबणी पहाड़ी के बीच में हैं और इसमें भैरूजी महाराज की मूर्ति है।

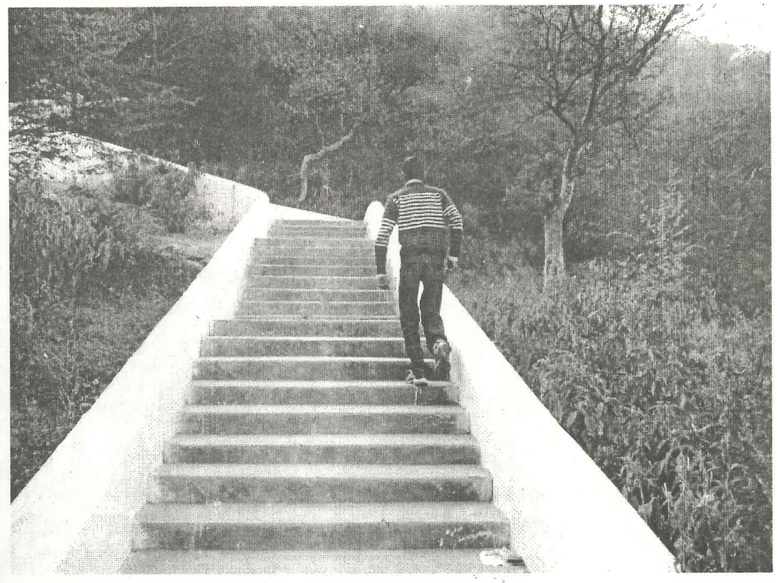

कुहाड़ा गाँव का प्राचीन नाम 'अजीतगढ़' था। श्री प्रमीत गुर्जर बताते हैं कि हमारे परिवार में शिवचरण नाम का व्यक्ति था। वह एक बार वाराणसी गया वह जब वाराणसी घूमकर वापिस आने लगा तब उसने एक पत्थर देखा और उसको उठा कर अपने गाँव की ओर चलने लगा। तब पीछे से आवाज आई कि पिताजी मैं भी आपके साथ गाँव चलूँगा। उसने देखा कि उसका बेटा पीछे आ रहा है। तब दोनों बाप–बेटे गाँव आ गये। जो पत्थर वे साथ लाये थे उन पत्थरों को पहाड़ी के बीच में ले जाकर वहाँ पर उनकी स्थापना की जिसका नाम काला भैरूजी महाराज है।

भैरूजी महाराज के नाम से यहाँ के साधु ऊपरी तथा अन्य बिमारियों का ईलाज इस बणी में जड़ी–बूँटी द्वारा भी ईलाज किया जाता है। श्री सूरज राम गुर्जर पथरी निकालने की जड़ी देते हैं। उससे बहुत से लोगों की पथरी निकल गई है। करते हैं। शनिवार व मंगलवार को प्रसाद चढ़ाते हैं। इसका मेला भादवा में भरता है। इसमें काफी भीड़ रहती है।

इस देवबणी में भैरू जी महाराज की आस्था के कारण से कोई भी पेड़ नहीं काटता है। क्योंकि काटने वाले को भैरूजी ही दण्ड देते हैं। इसके अलावा ग्रामवासियों ने समिति बना रखी है। अगर कोई व्यक्ति पेड़ काटता हुआ या कुहाड़ा चलता देखा जाता है तो देखने वाले को 500 रुपये ईनाम दिया जाता है और काटने वाले के ऊपर 1100/– रुपये का जुर्माना किया जाता है। अत: इस दण्ड प्रक्रिया को देखकर कोई भी इस देवबणी से पेड़ काटने का नाम भी नहीं लेता। इस देवबणी में निम्न प्रजाति के पेड़–पौधे हैं – धौंक, छीला, नीम, विलायती बबूल, अडूस्टा व डण्डाधोर आदि पौधे हैं।

इस बणी में विभिन्न प्रकार की घास भी पाई जाती है जैसे धावण, सुरवाल आदि है जो पशुओं को चराने के लिए बहुत उपयोगी है। जो गाँव के पशु इस देवबणी पर 5–6 महिने चराई चरते हैं। यहाँ सियार, खरगोश, रोजड़ा, तीतर, मोर, कबूतर, बन्दर आदि वन्य प्राणी पाये जाते हैं। इस देववणी में कोई भी शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि भैरूजी उनको दण्ड देते हैं। अगर किसी ने शिकार करते देख लिया तो उसके ऊपर कमेटी दण्ड देती है।

कुहाड़ा गाँव के लोग पेड़ों की देखरेख अपने पुत्र के समान करते हैं। इस साल यहाँ लोगों ने 25 पौधे लगाये जिनकी देखरेख 25 अलग–अलग गाँव के लड़कों को सौंपी गई है। 2012 में इस बणी में गाँव के व्यक्तियों द्वारा 1000 पौधे लगाने की तैयारी भी की जा रही है।

भैरूजी की बणी में एक पेड़ है तथा इस पेड़ के बारे में कहावत है कि जिस महिला के कोई संतान नहीं होती वह इस पेड के नीचे होकर निकल जाये तो उसकेसन्तान होगी। इस गाँव के व्यक्ति बताते है कि सूर्य के निकलते ही उन्हें निकलना पड़ता है और उस पेड़ पर एक वस्त्र छोड़ देना पड़ता है। रोहिताश गुर्जर इस मन्दिर के भोपा है जो भैरू जी की सेवा करते हैं और बणी की देखरेख करते हैं। तथा कुहाड़ा चलाने की मनाही के नियम की सख्ती से पालना कराते है।

चरवाहा समुदायों का आदान–प्रदान : राष्ट्रीय कार्यशाला

कृपाविस द्वारा तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला दिनांक (16 से 18 दिसम्बर 2011) को अलवर में चरवाहों के लिए आयोजित की गई। इस कार्यशाला में कई राज्यों जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश एवं आन्ध्र प्रदेश के चरवाहा प्रमुखों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में विभिन्न चरवाहा समुदाय के लोगों ने भाग लिया जिनमें प्रमुख रूप से गुर्जर, रईका, कुरमास, गोलास, दलित, मालधारी व डॉगरा प्रमुख थे।

इनके साथ कार्यरत कई स्वयंसेवी संस्थाऐं जिनमें आन्तरा, एल. पी. पी. एस., मार्ग एवं कृपाविस ने प्रमुखता से भाग लिया एवं अपने विचार प्रकट किये। कार्यशाला में विरेन लोबो, डॉ. ए.के. सिंह, रिपु गर्ग, आशालता तिललोतमा सरकार, डॉ. जागृति संघवी, प्रतिभा सिसोदिया एवं अमन सिंह प्रमुख सन्दर्भ व्यक्ति थे। जिनके मार्गदर्शन व सुझावों का विस्तृत विवरण इस कार्यशाला में प्रदान किया गया।

वार्तालाप का प्रमुख मुद्दा/उद्देश्य ''चरवाहा के लिए वनों से चराई अधिकार/हक'' पर केन्द्रित था। इसमें वर्तमान में सरिस्का के गुर्जर समुदाय ने अपने परम्परागत चारागाह के उपयोग के लिए आवाज उठाई जो बाघ सरंक्षण के कारण उनके उपयोग के लिए निषेध कर दी गई है। इसी प्रकार एक और समुदाय 'रईका' का भी कुंभलगढ़ वन सरंक्षण परियोजना में प्रवेश निषेध कर दिया गया है उन्होंने भी अपनी व्यथा बताई। महाराष्ट्र के घुमंतु चरवाहों ने बताया कि वे चार महिनों में चराई व मार्ग में पड़ने वाले चारागाहों की खोज/यात्रा में पाई जाने वाली कठिनाईयों का भी जिक्र किया। इसी प्रकार आंध प्रदेश के चरवाहा समुदाय द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बेवजह परेशान एवं प्रताड़ित करने का मुद्दा भी उठाया गया।

इस कार्य के लिए पाँच राज्यों के समुदाय एवं संस्थाऐं द्वारा चरवाहों के हक व पूर्णवास के लिए ''वन–अधिकार अधिनियम–2006'' के तहत हक दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। इस कार्यशाला में सभी ने अपने अनुभवों एवं सुझावों का एक–दूसरे से आदान–प्रदान किया। वार्तालाप के दौरान यह पाया गया कि सभी समुदाय उसी प्रकार की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं जो सभी समुदायों के साथ किसी ना किसी रूप में वैसे ही घटित हो रही है। इस कारण से सभी चरवाह समुदाय ने एक साथ सम्मिलित या संगठन बनाकर अपने वार्तालाप एवं सुझावों द्वारा इस परेशानी का हल करने का प्रयास किया है तथा इस कार्य के क्रियान्वयन के लिए एक रूपरेखा तैयार की है।

कई लोगों का विचार है कि वो इसे ''चरवाहा दिवस'' के रूप में मना सकते हैं जिससे कि चरवाहा आधारित मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया जा सके। इसके लिए यह भी विचार रखा गया कि इन मुद्दों को प्राथमिकता एवं त्वरित कार्य योजना के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए। आन्ध्रप्रदेश की महिलाओं का विचार था कि इन्हीं समुदायों में से समाज की अग्रणी महिलाऐं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाकर इन चरवाहों के विकास के लिए समयानुसार पूर्ण सहयोग दे सकती हैं।

इस तीन दिवसीय कार्यशाला में मुख्यता इन बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया जो इस प्रकार हैं:–

1.यह वस्तुस्थिति है कि भूमि का क्षेत्रफल सिकुड़ रहा है, तथा कई मामलों में सरकार द्वारा वन भूमि व चारागाह का अपने निहित स्वार्थ व सरकारी परियोजना के लिए उपयोग में लिया जाता है जिसके कारण इनका उपयोग चरवाह समुदाय नहीं कर पाता है।

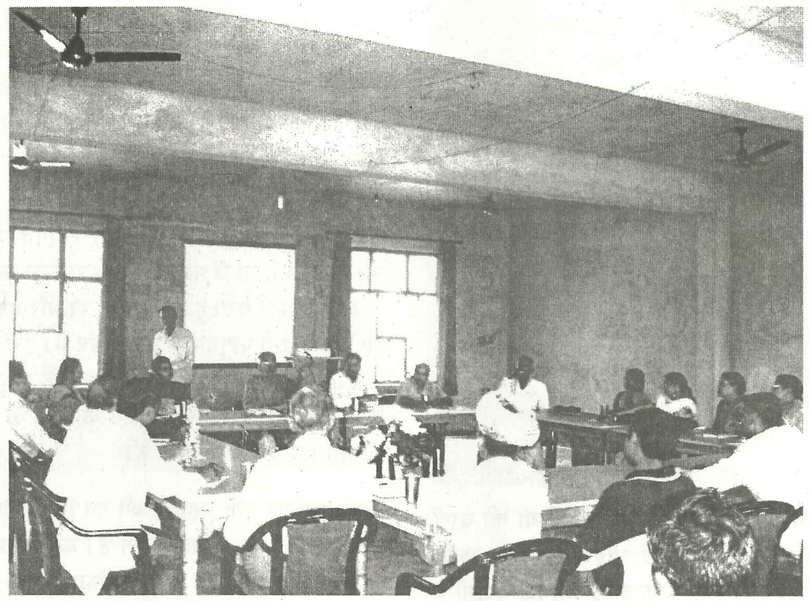

2.परम्परागत चारागाह का उपयोग चरवाहों द्वारा उपयोग में नहीं आ पा रहा है, जबकि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत इनका अधिकार हैं।

3.सरकार की नीतियाँ संकर नस्ल व अत्यधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली नस्लों के संवर्धन पर केन्द्रित हैं जिसके कारण परम्परागत तरीके जो देशी नस्लों के संवर्धन के लिए आवश्यक था उनका ह्रास हुआ। अत: ऐसे कदम उठाये जाए जो मौसमानुकूल देशी नस्ल को संरक्षित व विलुप्ति से बचाए रख सकें।

4.सरकार जो कदम चरवाहों के विस्थापन के लिए ''वन अधिनियम'' के तहत लागू कर रही है उससे सरिस्का का गुर्जर समाज इत्तफाक नहीं रखता क्योंकि सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियाँ उनके हक का हर कदम पर हनन कर रही है। समुदाय को संरक्षित वनक्षेत्र में मौलिक मूलभूत सुविधाओं का जैसे बिजली, स्कूल व अस्पताल आदि की सरकार द्वारा सुविधाऐं प्रदान करनी चाहिए।

5.चरवाहों द्वारा परम्परागत व टिकाऊ तरीके से वनक्षेत्र का उपयोक करने के बावजूद भी वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा उन्हें अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करना।

6.चरवाहों द्वारा केन्द्रिय वन मंत्रालय, आदिवासी मंत्रालय के समक्ष इन मुद्दों को उठाया जावे। चूंकि इस पर चरवाहों से संबंधित प्रकरण वन मन्त्रालय व आदिवासी मन्त्रालय के तहत विचाराधीन है।

पर्यावरण पर पारम्परिक ज्ञान कार्यशाला

दिनांक 17 व 18 अक्टूबर 2011 को कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान द्वारा भूरासिद्ध स्थित कृपाविस केन्द्र पर एक कार्यशाला आयोजित की गयी। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण पर पारम्परिक ज्ञान व प्राकृतिक संसाधन विकास था। जिसमें मुख्य वक्ता श्री किशोर संत जी थे। इस कार्यशाला में 30 लोगों ने भाग लिया। जिसमें विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पंच समुदाय प्रमुखों ने भाग लिया।

श्री किशोर संत जी ने निम्न तीन बिन्दुओं पर विचार प्रकट किये –

1.पर्यावरण :– जो हमारे चारों ओर है जो दिखाई दे रहा है, हरा–भरा हैं, पेड़–पौधे है, वह पर्यावरण है तथा हमारा इससे सम्बन्ध है।

2.अर्थतंत्र या समाजवाद :– समाज में अनेक बुराईयाँ, जाति, धर्म, रंग, भाषा आदि जो समाज में पाई जाती हैं।

3.नीति और नैतिकता :– नीति और नैतिकता हमारा सर्वोत्तम् धर्म। हमारी नीति और नैतिकता से चरित्र बनता है।

क्रास्का गाँव की कहानी : सुरज की जुबानी

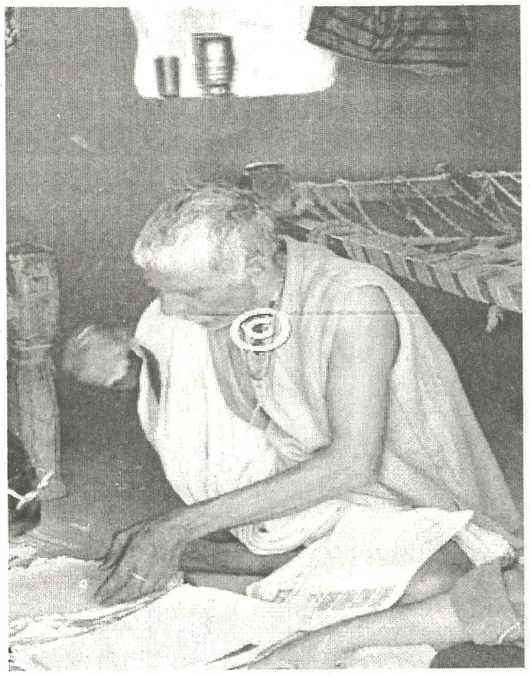

हमारे बुजुर्गों की सम्पत्ति ग्राम क्रासका जोड़िया की ढ़ाणी सरिस्का के अन्दर है। इम चारों भाईयों के पास करीब 30 बीघा भूमि रेवेन्यु सिवाय चक की है जो कि बुजुर्गों के समय की है और मौके पर हम काबिज मालिक आज भी हैं। जो जमीन हमारे द्वारा थोड़ी बहुत और बढ़ाई गई थी उस जमीन को हमारे द्वारा छोड दिया गया है तथा जो जमीन हमारे बुजुर्गान की है उस पर ही हम काश्त करते चले आ रहे हैं। जिस पर आज भी हमारा ही कब्जा काश्त है और चार दीवारी की हुई है। 5 हाथ ऊँची है और डेढ़ फुट चौड़ी है और बीच में कुआँ बुजुर्गान द्वारा बनाया हुआ है।

सन 1994 में जाँच कराई तब हम निर्दोष पाए गए और सन् 1976 में हमारे नाम पट्टे जारी किए गए थे जो रोंध सीरावास के जारीशुदा है। हमको पट्टा जारी तो कर दिया था परन्तु कब्जा आज तक भी नहीं दिया गया है।

सन् 1976 गांव क्रासका के हमारी ढाणी में 65 घर थे जिनमें से 19 तो खातेदार थे जिनको खातेदारी रोंध सीरावास व बांदीपुर थानागाजी दे दी गई, लेकिन जिनके पास सिवायचक पर कब्जा था उनको 4–4 बीघा का पट्टा दिया गया था। जिन 26 लोगों को 4–4 बीघा जमीन दी गई उनको कब्जा दे दिया गया वे लोग आज भी उस जमीन पर काबिज मालिक हैं। बाकी लोगों को कब्जा जमीन दी गई है और ना ही कोई मुआवजा राशि दिया गया है। जिन लोगों को कब्जा जमीन पर दे दिया उन लोगों ने दुबारा वन विभाग से मिल जुलकर वापिस कब्जा कर लिया और ये लोग आषाढ़ में जाकर फाल्गुन तक जो जमीन दी गई वहा पर खेती बाड़ी करके पालन पोषण करके वापिस वन विभाग की जमीन पर आ जाते हैं। लेकिन अब हम चाहते है यदि हमको सरकार बाहर राजी खुशी बसाती है तो हमको 10–10 बीघा जमीन व पानी–बिजली आदि की समुचित व्यवस्था की जावे और हमको वन विभाग के नाम आदेश जारी किए जावें।

हमारा गांव अलवर की पंचायत समिति उमरैण के ग्राम पंचायत माधोगढ़ में पड़ता है। यह सरिस्का के अन्दर जंगल में कोर नं.1 में बसा हुआ हैं। यहाँ पर परिवार गुर्जर समुदाय के है जो सभी पशुपालन पर निर्भर है। इस गांव में लगभग 500 भैंस, 300 गाय तथा 1000 के आस पास बकरिया है। इन पशुओं को पानी पिलाने के लिये दो पुराने जोहड़ है जिनमें पर्याप्त पानी रहता है।

हमने यहाँ पर एक महादेव जी का शिवालय बना रखा है। जिसके पास 10 बीघा जमीन हैं। यहाँ हमारे गाँव में कई सारी प्राचीन चीजे है। जो यह सिद्ध करती है कि हम इस गाँव में कई सौ सालों से रह रहे हैं।

राज्य सरकार यदि हम गरीबों का भला चाहती है तो हम निवेदन करते है कि हमको विस्थापित नहीं किया जावे। वन विभाग वाले हमको तंग व परेशान ना करें और हमारी बुजुगों की जमीन पर हमको बदस्तूर बोने खाने देवें ताकि हम अपने मवेशियों का पालन कर सकें व बच्चों का पालन–पोषण कर सके। साथ ही यह निवेदन है कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनको बाहर वन विभाग से निकाला जावे और जाँच कराई जाकर न्याय दिलाया जावे।

सूरज गुर्जर, ग्राम क्रासका (सरिस्का)

सामलात देह: एक परिचय

किसी एक गाँव की साझी सम्पत्तियों तथा साधनों को सामलात देह (कॉमन प्रोपर्टी रिर्सोस) के नाम से सम्बोधित किया जाता है। इन्हे इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि ऐसे संसाधन जिन पर एक समुदाय या गाँव के लोगों का समान अधिकार हो अर्थात इसमें रख–रखाव प्रबन्धन, उपयोग, बचाव और निर्माण में उस समुदाय या

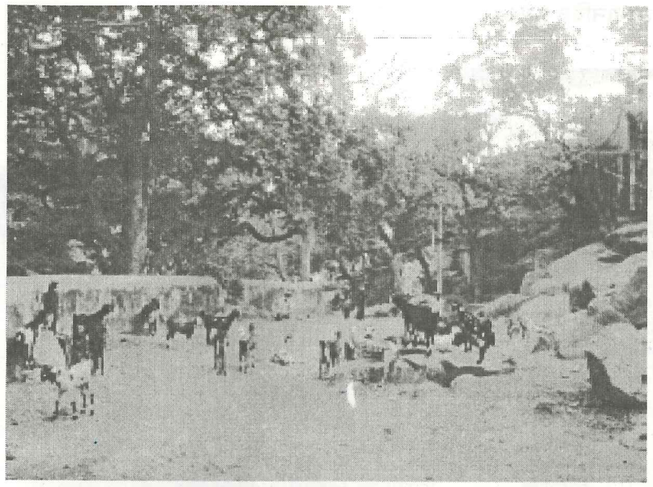

गाँव के लोगों का बराबर का हक और दायित्व हो।

भारतीय गाँवों के प्रसंग में इस तरह के संसाधनों के वर्ग में सामुदायिक बन चरवाह, परती भूमियां खलयान भूमियां गौरा, जलधराओं की नालियाँ, गाँव के जोहड़, तालाब, बावड़ी छोटे–बांध राते, चौपाल, थाई, श्मशान, मन्दिर, धर्मशालाएँ, पनघट के कुएँ, नदि–नाले और उसके कगार व नदी तर आदि आते है। किसी कारणवश भले ही इसमें से किन्हीं पर किसी का हक हो गया या मालिकाना हो गया हो, खैर वास्ता में तो पूरे ग्राम या समुदाय की सम्पत्ति होती है।

ऊपर बताये गये सार्वजनिक संसाधनों में से सामुदायिक वन, सामुदायिक चरागाह और परती भूमियां तीनों का क्षेत्र बहुत अधिक वित्रित होने के कारण गाँवों के भरण–पोषण में इसकी अहम भूमिका होने से ये पूरे गाँव या समुदाय के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होते है। विकसित धनी देशों के विपरित विकासशील देशों में वर्तमान में भी गाँव के लोगों के लिए सामलात देह का भूमि–सम्पत्ति संसाधन के रूप में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भूमिका निभाते है।

सामलात देह अनेक प्रकार से ग्रामीण समुदायों उत्पादन और उपयोग की जरूरतों को पुरा करते हैं। सकारात्मक योगदान के होते हुए भी देह को विभिन्न पारिस्थितियों तथा कारणों से वर्तमान काल में गम्भीर समस्याओं व संकटों का सामना करना पड़ रहा है। निरन्तर इसका ह्रास होता जा रहा है और इसका विस्तृत क्षेत्र सिकुडता जा रहा है। इसके प्रबन्धन की परम्परागत व्यवस्था को लोग भूलतें जा रहे है।

सामलात देह के स्वरूप, विकास, संरक्षण, उपयोग और प्रबन्धन पर व्यावहारिक दृष्टिकोण से वर्तमान सन्दर्भ विचार करने पर निम्न बाते सामने आती है।

1.सामुहिक संसाधनों अर्थात् सामलात देह का निर्माण भूमि, वन, जल मिट्टी और कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के मेंल–जोल से होता है।

2.ये सामुहिक संसाधन स्थानीय लोगों की जीवन पद्धति का एक मुख्य भाग रहा है। इसका कृषि में पशुओं के भरण पोषण में तथा खाद्य पदार्थ प्राप्त करने में बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

3.समुदाय के लोगों की इन संसाधनों तक पहुँच होती है। यदपि इस व्रकासका प्रतिबन्ध नहीं है।

मानव में सामलात देह को बचाने व बढाने की भावना आज से हजारों वर्ष पूर्व पैदा हुई थी। इसे सबसे पहले आदि मानव ने महसूस किया। जब आदि मानव ने महसूस किया जब मानव ने समुहों में रहना शुरू किया तब उसे खेती और पशुपालन के लिए जल और जंगल बचाने की आवश्यकता पड़ी। यही से सामलात देह की धारणा शुरू हुई।

जल और जंगल के सरंक्षण के धीरे–धीरे चारागाह और अन्य सामलाती संसाधनों को बचाने की प्रक्रिया शुरू हुई जोहड़ बाध, बावड़ी, कुए, कांकडबनी, देवबणी, रख्तबनी, देवओरण आदि अनेक सामलात संसाधन मानव के विकास के साथ–साथ ही अस्तित्व में आये। वास्तव में इस बारे में ठिक–ठाक से कहना तो कठिन है कि पहले वनों की रक्षा शुरू हुई या किसी अन्य सामलात देह की। पर चुंकि वन किसी भी समुदाय के सबसे महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन या सामलात देह हैं।

सहभागी प्रशिक्षण एवं आपसी आदान–प्रदान

प्राकृतिक व सामूहिक संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन हेतु ग्राम स्तरीय संगठनों के सहभागीता पूर्ण प्रशिक्षण एवं आपसी आदन प्रदान की अति आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुऐ कृपाविस किसानों तथा पशुपालको के बिच आपसी आदन प्रदान को बढाने हेतु नियमित एक्सपोजर विजिट का आयोजन करता है। जिससे सत्त कृषि विकास हेतु कृषक समुदायों, वैज्ञानिकों तथा कार्यकत्ताओं को सहभागितापूर्ण कार्य करने से खाद उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ सके। कुछ महिने पहले इसी तरह का परम्परागत कृषि तकनिक पर अलवर जिले के कुछ चुनिदा किसानों, विशेषकर महिला किसानों का एक एक्सपोजर विजिट दौसा व करौली जिले के कुछ गांवों में किसानों के साथ आयोजित किया। जिससे किसानों को आपसी आदान प्रदान से काफी लाभानवित हुयें।

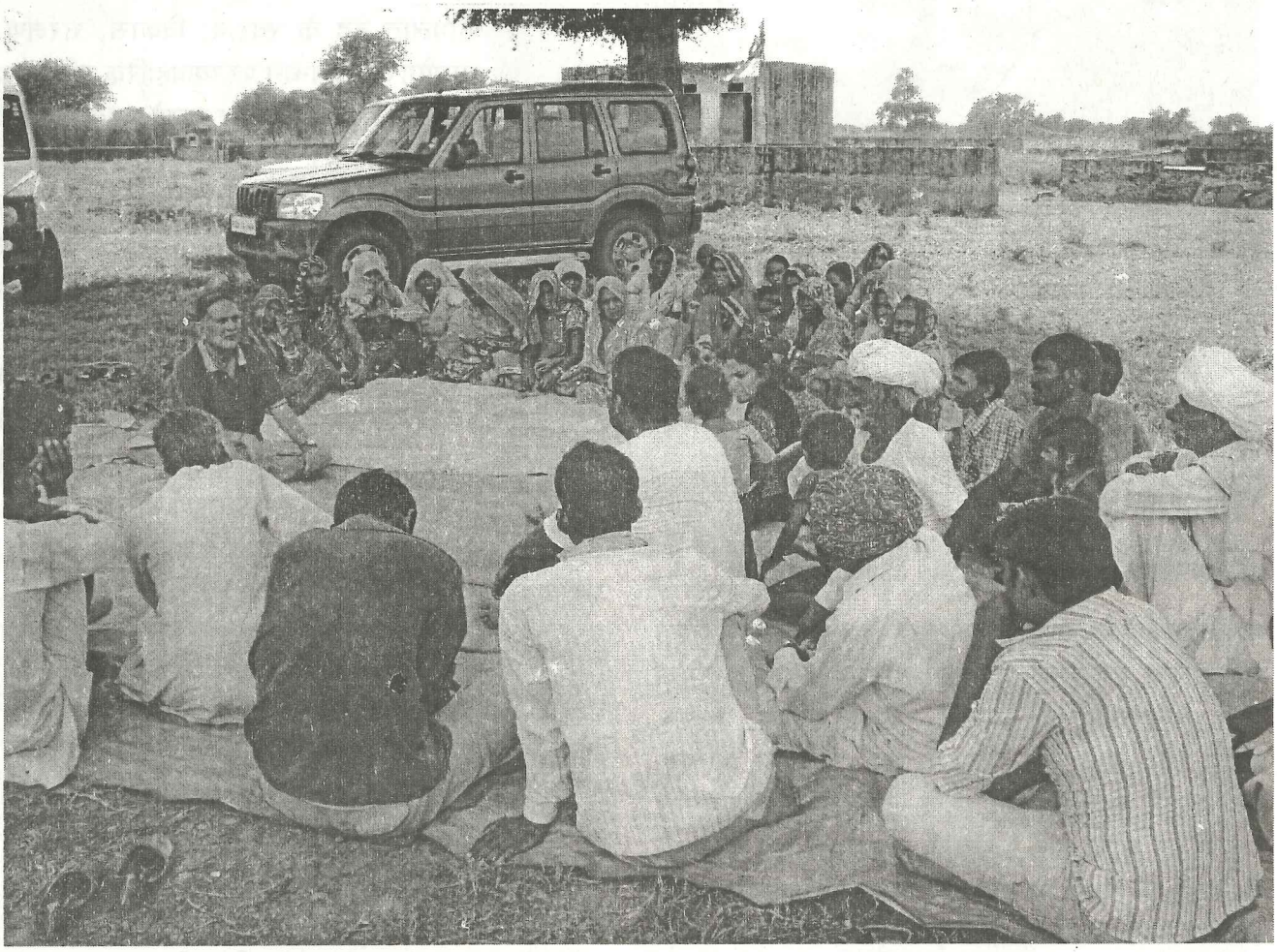

कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान (कृपाविस), बख्तपुरा, पो० सिलीसेढ झील, अलवर (राज०) द्वारा जनहित में प्रसारित।
मुद्रक: जय बाबा प्रिन्टर्स, स्टेशन रोड़, अलवर। लेआउट सहायक : शिव कुमार गुप्ता व सुनील चौहान